

(वाद सं०-336/4/3/2020)

09.02.2022

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, नीलम सोरेन, प्रखण्ड शिक्षिका (लेवन-1), उत्कर्मित मध्य विद्यालय, बरमसिया, बौसी को योगदान की तिथि (दिनांक-23.10.2018) से वेतन भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में जिला पदाधिकारी, बांका से प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला पदाधिकारी, बांका के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित जिला शिक्षा पदाधिकारी, बांका के प्रतिवेदनानुसार परिवादी को अक्टुबर, 2018 से अगस्त, 2021 तक के कुल अद्यतन बकाया वेतन, 577625 रु०/- का भुगतान कर दिया गया है।

अब जबकि परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा संतोषजनक समाधान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में जिला पदाधिकारी, बांका के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तदनुसार जिला पदाधिकारी, बांका से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक